सं०सं०–म०नि०–II–उ0यो0–91 / 2021–22 / 64 आ0 (वि0)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,

(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
झारखण्ड, रॉची।

रॉची / दिनांक– 09.02.26

विषय– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में मॉग सं0–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405–मछली पालन–77–प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) अंतर्गत स्टेट टॉप–अप मो0 70.00 लाख (सत्तर लाख) रु0 मात्र के निधि का आवंटन।**

प्रसंग– **स्वीकृत्यादेश सं0 41 रा0 (वि0) दिनांक 03.02.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु मॉग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष 2405–मछली पालन–उप शीर्ष–**77–प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) अंतर्गत स्टेट टॉप–अप मो0 70.00 लाख (सत्तर लाख) रु0 मात्र** आवंटित किया जाता है। **स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश का अक्षरशः पालन किया जाय।**

यह आवंटन स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत मो0 **70.00 लाख (सत्तर लाख)** रु0 मात्र के विरुद्ध आवंटित है।

2. व्यय का विकलन निम्न बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से किया जाएगा :–

मांग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–77–प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

(राशि लाख में)

क्रम0	विस्तृत शीर्ष	आवंटित राशि
लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन		
1	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता **53X24050010177010649**	37.00
लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना		
2	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता **53X24050078977010649**	10.00
लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना		
3	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता **53X24050079677010649**	23.00
	कुल आवंटन	**70.00**

मो0 सत्तर लाख रु0 मात्र।

3. (क) वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–29 / बी॰टी॰ई॰–05 / 2025–26 / 855 / बजट दिनांक–15.12.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में द्वितीय अनुपूरक में प्रावधानित राशि के व्यय की अनुमति प्राप्त है।

(ख) आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 / वि० (2) दिनांक–17.04.1998 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत राशि की निकासी की जायगी।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष के प्रत्येक तिमाही का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना संबंधित DDO का दायित्व होगा।

5. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 475 के आलोक में किया जाये। साथ ही कोषागार संहिता / वित्तीय नियमावली / बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।

6. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो, इसका निदेशक, मत्स्य दृढ़ता से अनुपालन कराना सुशिचित करेंगे।

8. इस आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची / जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) / जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होंगे जो राशि की निकासी संबंधित जिलों के कोषागार से करेंगे।

9. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि इस प्रयोजनार्थ अन्य स्रोत (जिला / अन्य विभाग / योजना) से राशि प्राप्त नहीं हो रही है।

10. कार्यों का भौतिक / वित्तीय उपलब्धि झारखण्ड सरकार की Website पर Post किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0–ऑनलाईन आवंटन।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी.)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 64 आ०(वि०) मत्स्य / रॉची, दिनांक 09.02.26

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची / अवर सचिव, उप सचिव, (बजट) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, रॉची / योजना एवं बजट शाखा, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

64 अ० (नि०)
09.02.26

2025-26

आवंटन सं० - 4324

झारखण्ड सरकार

मत्स्य

DEMAND NO:53

RELEASE NO	MAJOR	SUBMAJOR	MINOR	SUB CODE	DET HD	UNIT	AMOUNT
9705	2405 - मछली-पालन	00 - मछली-पालन	101 - अन्तर्देशीय मछली-पालन	77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	06 - अनुदान	49 - आर्थिक सहायता	3,700,000.(

64 अ० (म०)
09.02.26

2025-26

आवंटन सं० - 4325

झारखण्ड सरकार

मत्स्य

DEMAND NO:53

RELEASE NO	MAJOR	SUBMAJOR	MINOR	SUB CODE	DET HD	UNIT	AMOUNT
9706	2405 - मछली-पालन	00 - मछली-पालन	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	06 - अनुदान	49 - आर्थिक सहायता	1,000,000.0

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 2140

पत्रांक संख्या :- 41 **झारखण्ड सरकार** पत्रांक दिनांक :- 03/02/2026

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

ABOOBAKER SIDDIQUI P
SECRETARY
AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND COOPERATIVE DEPT.JHAF

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।
द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : SANCTION FOR TOP-UP FOR PMMSY 2025-26 RS. 70.00 LAKH

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 53 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के, के
मुख्यशीर्ष - 2405-मछली-पालन
उपमुख्य शीर्ष - 00-मछली-पालन

लघुशीर्ष	राशि
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	☐23,00,000.00
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	☐10,00,000.00
101-अन्तर्देशीय मछली-पालन	☐37,00,000.00
कुलराशि :-	**☐70,00,000.00**

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
53X240500101770649	77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	49 - आर्थिक सहायता	3890 - PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY)
53X240500789770649		49 - आर्थिक सहायता	
53X240500796770649		49 - आर्थिक सहायता	

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

106.219.240.90

Run Date: 04/02/2026

64 आ०(वि०)
09.02.26

2025-26

आवंटन सं० - 4326

झारखण्ड सरकार

मत्स्य

DEMAND NO:53

RELEASE NO	MAJOR	SUBMAJOR	MINOR	SUB CODE	DET HD	UNIT	AMOUNT
9707	2405 - मछली-पालन	00 - मछली-पालन	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	06 - अनुदान	49 - आर्थिक सहायता	2,300,000.(